हुक्म तारीख	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज F.S.S.Act Case No.08/2022	नम्बर व तारीख जो इस हु , की तामिल में जारी हुए

31.3.2022

पत्रावली पेश हुई। श्री विनोद कुमार शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही अनुपस्थित। प्रतिवादी विजय शर्मा पुत्र श्री अशोक शर्मा, जाति– ब्राह्मण, एच.जी.रोड, पी एण्ड टी कॉलोनी, मानपुर, आबूरोड़, जिला– सिरोही, खाद्य कारोबारकर्ता एवं मैनेजर, फर्म एम.आई.एल.पी.सी.स्टोर, कारोली, तलेटी, आबूरोड़, जिला– सिरोही अनुपस्थित।

आवेदक श्री विनोद कुमार शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा यह न्याय निर्णयन आवेदन प्रतिवादी के विरुद्ध आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 26.3.2021 को फर्म एम आई एल पी सी स्टोर, कारोली, तलेटी, आबूरोड़, जिला– सिरोही से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत वास्ते नमूना जांच कीमतन क्रय किये गये खाद्य पदार्थ काबुली चना (LIO BRAND) का नमूना संख्या S-1391 खाद्य विश्लेषक, जोधपुर की जांच रिपोर्ट क्रमांकःL.S./286/Act/2021/384 दिनांक 19.4.2021 में मिथ्याछाप (Misbranded) पाया जाने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) व धारा 52 के तहत प्रतिवादी के विरुद्ध प्रस्तुत कर प्रतिवादी पर जुर्माना आरोपित करने का अनुरोध किया गया है। प्रस्तुत न्याय निर्णयन आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को विधिवत नोटिस जारी कर तामिल करवाया गया। प्रकरण की सुनवाई के दौरान नियत दिनांक 22.3.2022 को प्रतिवादी प्रतिवादी विजय शर्मा पुत्र श्री अशोक शर्मा, जाति– ब्राह्मण, एच.जी.रोड, पी एण्ड टी कॉलोनी, मानपुर, आबूरोड़, जिला– सिरोही, खाद्य कारोबारकर्ता एवं मैनेजर, फर्म एम.आई.एल.पी.सी.स्टोर, कारोली, तलेटी, आबूरोड़, जिला– सिरोही ने उपस्थित होकर लिखित जवाब प्रस्तुत कर अनुरोध किया कि दिनांक 26.3.2021 को खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री विनोद कुमार शर्मा द्वारा काबुली चना (LIO BRAND) का नमूना जांच हेतु लिया था जो जांच रिपोर्ट में मिसब्राण्ड पाया गया है। नमूना पैक कट्टे में से लिया गया था एवं खाली कट्टा भी नमूना के साथ ही भिजवाया गया था। काबुली चना (LIO BRAND) में मेरी ओर से कुछ भी नही मिलाया था। सप्लायर द्वारा ब्राण्ड का नाम अंकित नही किया गया था। भविष्य में इस प्रकार की गलती दोबारा नही करुंगा। मैं अपनी गलती स्वीकार करता हूँ।

प्रकरण में प्रतिवादी द्वारा उक्तानुसार जवाब प्रस्तुत कर गलती स्वीकार कर लिये जाने से [illegible] 22.3.2022 को ही प्रतिवादी को सुना गया। जिसने जवाब [illegible] अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए प्रकरण [illegible] किया जाने का अनुरोध किया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2022.06.06 18:14:36 IST
Reason: SelfAttested

हमनें सुनी गई बहस पर मनन किया एवं पत्रावली तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं

........लगातार

सिरोही (राज०)

प्रति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही–307001

हुक्म तारीख	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज F.S.S.Act Case No.08/2022	नम्बर व तारीख जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए

अवलोकन किया तो यह पाया कि श्री विनोद कुमार शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने दिनांक 26.3.2022 को सायं 11.00 ए.एम. पर फर्म एम. आई. एल. एल. पी. सी. स्टोर, कारोली, तलेटी, आबूरोड़, जिला– सिरोही पर गये। वहां पर खाद्य कारोबारकर्ता एवं मैनेजर की हैसियत से प्रतिवादी विजय शर्मा पुत्र अशोक शर्मा, जाति– ब्राह्मण, एच.जी. रोड, पी एण्ड टी, कॉलोनी, मानपुर, आबूरोड़, जिला– सिरोही उपस्थित मिले। जो आम जनता को खाद्य पदार्थ काबुली चना (LIO BRAND) बेचता है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने निरीक्षण के दौरान आम जनता के उपयोग आने वाले खाद्य पदार्थ काबुली चना (LIO BRAND) के अमानक होने का शक होने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत जांच हेतु नमूना लेने की इच्छा जाहिर करते हुए इसकी सूचना प्रपत्र 5ए में विक्रेता एवं खाद्य कारोबारकर्ता विजय शर्मा को गवाह के समक्ष भरकर दी एवं रसीद प्राप्त की। दुकान के गोदाम में फर्श पर बिक्री हेतु मौजूद खाद्य पदार्थ काबुली चना (LIO BRAND) के 30 किलोग्राम के एक पैक्ड बेग को खोलकर बैग में मौजूद काबुली चना (LIO BRAND) को अच्छी तरह हिलामिलाकर एकरुप किया व इस एकरुप किये हुए काबुली चना (LIO BRAND) में 4 किलोग्राम काबुली चना (LIO BRAND) को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत नमूना जांच हेतु एक साफ, सूखे, खाली भिगोनें में खरीदा एवं काबुली चना (LIO BRAND) की कीमत राशि रुपये 400/– (अक्षरे रुपये चार सौ मात्र) विक्रेता/मैनेजर विजय शर्मा को नकद अदा कर खरीद रसीद/बिल प्राप्त किया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खाद्य कारोबारकर्ता एवं गवहों को चार साफ, सूखें, खाली प्लास्टिक जार दिखाये एवं लेबल तैयार कर लेबल पर अभिहित अधिकारी (मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही) के कोड एवं क्रमांक S-1391, दिनांक, स्थान, खाद्य पदार्थ काबुली चना (LIO BRAND) आदि अंकित कर उस पर खाद्य कारोबारकर्ता, गवाह के हस्ताक्षर कराये एवं स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। तत्पश्चात् खरीदशुदा काबुली चना (LIO BRAND) को चारों खाली जारों में बराबर–बराबर मात्रा में भरा एवं चारों नमूना जारों को ढक्कनों से एयरटाईट बन्द किया। चारों नमूनों जारों पर एक–एक लेबल गोंद से चिपकाया। एक नमूना जार के साथ काबुली चना (LIO BRAND) का मूल लेबल लगाकर टेप से चिपकाया। चारों न[illegible] में लपेट कर, प्रत्येक नमूना भाग को धागे से [illegible] यमानुसार सील चपडी किया। प्रत्[illegible] के हस्ताक्षर कराये व स्वयं आवेदक [illegible] अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। तत्पश्चात् चारों नमूना [illegible] को आवेदक खाद्य

......लगातार

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2022.06.06 18:14:36 IST
Reason: SelfAttested

जिला मजिस्ट्रेट सिरोही (राज.)

प्रति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही–307001.

हुक्म तारीख	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज F.S.S.Act Case No.08/2022	नम्बर व तारीख जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
	सुरक्षा अधिकारी ने कब्जे/जाप्ते में लिया तथा मौका रिपोर्ट तैयार की, जिस पर विक्रेता, गवाह व आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी के हस्ताक्षर है। तत्पश्चात् आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय में पॅहुचकर फार्म नम्बर VI की प्रतियां तैयार की व उस पर नमूनें को सील्ड करते समय काम में ली गई सील की छाप अंकित की। नमूना के चारों भागों के साथ फार्म नम्बर VI की एक–एक प्रति लगाकर चारों नमूना भागों को आउटर कवर में बंद किया व नियमानुसार सील चपडी किया तथा फार्म नम्बर VI की दो–दो प्रतियां दो लिफाफो में अलग–अलग बन्द कर गोंद से चिपकाकर लिफाफों को सील चपडी किया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने दिनांक 30.3.2021 को नमूनें का एक भाग व फार्म नम्बर 6 का एक सील बन्द लिफाफा भावना देवी, वार्ड बॉय, कार्यलय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही के द्वारा खाद्य विश्लेषक, जोधपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की एवं दिनांक 26.3.2021 को शेष तीन नमूना भाग व फार्म नम्बर 6 का सील बन्द लिफाफा अभिहित अधिकारी (मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही) को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की। इस प्रकार, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा फर्म एम. आई. एल. पी. सी. स्टोर, कारोली, तलेटी, तहसील– आबूरोड़, जिला– सिरोही में खाद्य कारोबारकर्ता एवं मैनेजर विजय शर्मा से खाद्य पदार्थ काबुली चना (LIO BRAND) को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत वास्ते नमूना जांच क्रय करने की कार्यवाही विधिवत की गई है। प्रकरण में खाद्य विश्लेषक, जोधपुर से खाद्य पदार्थ काबुली चना (LIO BRAND) के नमूना संख्या S-1391 की प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक: L.S./286/Act/2021/384 दिनांक 19.4.2021 के अनुसार खाद्य पदार्थ काबुली चना (LIO BRAND) का नमूना मिथ्याछाप (Misbranded) पाया गया है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि प्रतिवादी विजय शर्मा ने प्रकरण की अनुसंधान के दौरान आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को खाद्य पदार्थ काबुली चना (LIO BRAND) के क्रय का बिल प्रस्तुत नही किया। इस प्रकार, प्रकरण में यह तथ्य स्पष्ट है कि फर्म एम.आई.एल.पी.सी. स्टोर, कारोली, तलेटी में मैनेजर प्रतिवादी विजय शर्मा ने मिथ्याछाप (Misbranded) [illegible] (LIO BRAND) का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा [illegible] अधिनियम, 2006 की धारा 26 की [illegible] किया है, जो उक्त अधिनियम की धारा 52 के तहत [illegible] योग्य अपराध है। अतः खाद्य सुरक्षा एवं मा[illegible] अधिनियम 2006 की धारा 68 की उपधारा (1) के तहत [illegible] सरकार की अधिसूचना ......लगातार	

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2022.06.06 18:14:36 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही–307001.

हुक्म तारीख	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज F.S.S.Act Case No.08/2022	नम्बर व तारीख जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए

क्रमांक प.1(2)कार्मिक/क–4/08 दिनांक 05.4.2012 के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा– 52 के तहत मिथ्याछाप खाद्य पदार्थ काबुली चना (LIO BRAND) के विक्र- य हेतु फर्म एम. आई. एल. पी. सी. स्टोर, कारोली, तलेटी, तहसील– आबूरोड़, जिला– सिरोही पर राशि रुपये 25,000/– (अक्षरे रुपये पच्चीस हजार मात्र) का जुर्माना आरोपित किया जाता है। साथ ही, प्रतिवादी विजय शर्मा पुत्र श्री अशोक शर्मा, खाद्य कारोबारकर्ता एवं मैनेजर, फर्म एम. आई. एल. पी. सी. स्टोर, कारोली, तलेटी, तहसील– आबूरोड़, जिला– सिरोही को आदेशित किया जाता है कि उक्त आरोपित जुर्माना राशि का राष्ट्रीयकृत बैंक से न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के पक्ष में अलग अलग Crossed Demand Draft जिसका भुगतान सिरोही शहर में प्राप्त किया जा सके बनवाकर न्याय निर्णय अधिकारी एवं अति0 जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के कार्यालय में 15 दिन के भीतर जमा करवाये। निर्णय सुनाया गया। निर्णय की प्रति आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं प्रतिवादीगण को प्रेषित की जावे। मिसल वास्ते जमा होने जुर्माना राशि डी.डी. आयन्दा दिनांक 04.5.2022 को पेश हो।

(के.आर.खौड)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,
सिरोही

Signature Not Verified

Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2022.06.06 18:14:36 IST
Reason: SelfAttested